न्यायालय,

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, गया।
<u>जमानत आवेदन संख्या–798 / 2026</u>

साजन कुमार, उम्र–27 वर्ष, पिता–सतेन्द्र कुमार उर्फ सतेन्द्र प्रसाद उर्फ सतेन्द्र कुमार निवासी ग्राम–चाकाकिल, धुरगांव, थाना–एकंगरसराय, जिला–नालांदा, ––––अभियुक्त

बनाम

बिहार सरकार––––––––––––––––––––––––––––––––––अभियोजन पक्ष

<u>आदेश</u>

<u>08.06.2026</u> काराधीन आवेदक / अभियुक्त साजन कुमार जो गया रेल थाना कांड संख्या –218 / 2025 अन्तर्गत धारा–304(2) बी0एन0एस0 में दिनांक– 07.04.2026 से काराधीन है। प्रस्तुत जमानत आवेदन पर उभयपक्ष को सुना। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

<u>आदेश</u>

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक / अभियुक्त निर्दोष हैं और इन्होंनें कोई अपराध नहीं किया है। उसे इस काण्ड में झूँठा फॅसाया गया है। वह निर्दोष है। आवेदक इस काण्ड में दिनांक 07.04.2026 से कारा में है। आवेदक बंधपत्र एवं प्रतिभूति देने को तैयार है। वह विचारण न्यायालय के समक्ष हमेशा उपस्थित रहेगा। अतः उसके जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

बिहार सरकार की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त ने गंभीर अपराध किया इसलिए उन्हें जमानत नहीं दिया जाय।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक प्राथमिकी अभियुक्त नहीं है। आवेदक का नाम सर्वप्रथम अभियुक्त छोटु कुमार, सुमित एवं आकाश सिंह को जब गिरफ्तार किया गया तो इन लोगों ने बताया कि जब दुरंतो एक्सप्रेस 12282 दिनांक–22.05.2025 को बंधुआ टनकुप्पा रेलवे स्टेशन पर रूकी तो दो अज्ञात व्यक्तियों को इस कांड के सूचक अजय कुमार की पत्नी का हैंड बैग लेगर भाग फरार हो गये। जिसमें इनका आभूषण और रूपया था। छोटु कुमार, सुमित कुमार एवं आकाश सिंह ने गया थाना कांड संख्या–189 / 2025 में यह स्वीकार किया कि हमलोग साजन कुमार अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर के गाड़ी से इस प्रकार की चोरी कारित करते हैं। कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि न तो

आवेदक के पास से आपत्तिजनक वस्तु बरामद हुयी है और न ही इन्हें घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया है और न ही अनुसंधानकर्ता के द्वारा पहचान परेड कराया गया है। आवेदक दिनांक– 07.04.2026 से काराधीन है।

इसलिये अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों, परिस्थितयों एवं काराधीन अवधि पर विचार करने के पश्चात आवेदक अभियुक्त को 10,000/रूपये के बंधपत्र एवं सामान राशि के दो प्रतिभूति देने पर जमानत पर इस शर्त पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि यदि आवेदक भविष्य में इस प्रकार के अपराध में संलिप्त पाये जाते हैं तो यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा और उनकी गिरफ्तारी हेतु अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया जायेगा। तद्नुसार आवेदक के जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित
Sd/-
राजेश सिंह
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– II
गया